सरयू राय

झारखण्ड सरकार

9

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक, 251।/मंत्री को०
दिनांक, 22-1-19

मुख्य सचिव,

राज्य में State Wide Area Network (SWAN) की स्थापना संबंधी निविदा के निष्पादन में अनियमितता बरतने तथा निविदा शर्तों पर खरा नहीं उतरने वाली कम्पनी को तकनीकी मूल्याँकन में योग्य ठहराने के विषय में आपको चर्या–टिप्पणी गै०प्रे०सं० 1993 मंत्री को० दिनांक 17.07.2018 के माध्यम से अवगत कराया था. सुलभ संदर्भ हेतु इस चर्या–टिप्पणी की छाया प्रति संलग्न है. यह चर्चा–टिप्पणी स्वतः स्पष्ट है.

मुझे उम्मीद थी कि चर्चा–टिप्पणी में अंकित तथ्य के आलोक में राज्यहित का ख्याल रखते हुये निविदा मूल्याँकन की प्रक्रिया में अपनायी गई अनियमितताओं का निराकरण होगा. परंतु अफसोस है कि (SWAN) स्थापित करने का कार्यादेश उसी कम्पनी को दे दिया गया है जो निविदा शर्तों के अनुसार तकनीकी रुप से योग्य नहीं है. यह निर्णय सर्वथा अनुचित है और इस निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं है. सूचनानुसार निविदा निष्पादन संबंधी संचिका परामर्श हेतु आपके स्तर से भी गुज़री है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी.

उपर्युक्त के संदर्भ में एक स्वभारित प्रतिवेदन मुझे यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दें. यह प्रतिवेदन निविदा निष्पादन संबंधी संचिका में अंकित टिप्पणियों एवं रक्षित कागजातों तथा उपर्युक्त चर्चा–टिप्पणी में उल्लिखित बिन्दुओं पर आधारित होनी चाहिये.

सरयू 22.1.19

, सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner